समाजिक विज्ञान विभाग, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

राष्ट्रीय सेवा योजना, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

संविधान दिवस के उपलक्ष्य में **''भारतीय संविधान एवं समकालिन प्रवृतियां''** विषय पर एकदिवसीय वेबिनार दिनांक 26 नवम्बर 2020।

वेबिनार आयोजक : सामाजिक विज्ञान विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कोटा विश्वविद्याय, कोटा

समन्वयक

डॉ. विक्रांत शर्मा

सह–समन्वयक

डॉ. नम्रता सैंगर

आयोजक सचिव

श्री यादराम कर्माकर

विभागाध्यक्ष, समाजिक विज्ञान विभग

डॉ. ए.ए. हनफी

माननीय कुलपति महोदया के मार्गदर्शन में दिनांक 26 नवम्बर 2020, गुरूवार को एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन निम्नलिखित प्रकार से हुआ–

कार्यक्रम के प्रारंभ में कार्यक्रम के समन्वयक श्री डॉ. विक्रांत शर्मा ने अतिथियों एवं सहभागियों का स्वागत किया एवं अतिथियों का परिचय दिया। डॉ. शर्मा ने वेबिनार के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि वर्तमान 'संविधान दिवस' आयोजन के क्रम में पांचवे वर्ष का आयोजन हैं। सर्वप्रथम 11 अक्टुबर 2015 को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मुम्बई में 'बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक' के शिलान्यास कार्यक्रम में ''संविधान दिवस'' मनाने की घोषणा की। वर्ष 2015 डॉ. अम्बेडकर जी की 125 वीं जंयती वर्ष था। अतः डॉ. भीमराव अम्बेडकर की याद स्वरूप में संवैधानिक मुल्यो के प्रचार–प्रसार हेतु इसकी घोषणा की गयी। उन्होने संविधान सभा एवं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण सिमा चिन्ह् का उल्लेख किया।

भारत का संविधान मुख्यतः भारत शासन अधिनियम –1935 पर आधारित है। इस अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद परिष्कृत कर भारतीय संविधान में लिए गये है। इसके आलावा 'ब्रिट्रिश मॉडल' के आधार पर शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, परन्तु यह ब्रिट्रिश व्यवस्था की प्रतिकृति नही है। भारत ने भौगोलिक विस्तार एवं केंद्र–राज्यों की व्याख्या के अनुरूप 'संघीय' व्यवस्था के प्रावधानों को भी अपनाया है। उन्होने भाग–3 में उल्लेखित ''मौलिक अधिकारों'' को वैक्तिक स्वंतत्रता का संरक्षक माना। जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद–32 अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित विषयों पर भारतीय संसद ने विधि बनाकर व्यवहार में 'समाजिक–आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया है, जिससे भारतीय लोकतंत्र ने व्यवहारिक स्वरूप प्राप्त किया है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. ए.ए. हनफी जी द्वारा की गयी। प्रो. हनफी ने समाजिक विज्ञान विभाग का परिचय देते हुये अपना वक्तव्य प्रारम्भ किया–

उन्होने संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को **रेखांकित** किया– जैसे साइमन आयोग, क्रिप्स मिशन, संविधान सभा का निर्वाचन आदि। उन्होने 'संविधान दिवस' मनाने के औचित्य पर प्रकाश डाला साथ ही उन्होने राष्ट्रीय सेवा योजना एवं कार्यक्रम के संयोजको का कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रशंसा की।

अध्यक्षीय, उद्‌बोधन के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशक से प्राप्त सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र की अनुपालना में भारतीय संविधान की ''प्रस्तावना''(Preamble) का हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में वाचन किया गया।

प्रस्तावना–वाचन के बाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ सी.बी यादव जी का संविधान के विविध आयामों को शामिल करते हुए व्याख्यान हुआ। श्री यादव ने अपने भाषण को तीन भागों में वग्रीकृत किया प्रथम उन्होने भारतीय 'संविधान दिवस' मनाने की पृष्ठभूमि सहित भारतीय संविधान के लेखन, मुद्रण, एवं चित्रण की विस्तार से अभिनव जानकारी प्रदान की इसके उपरांत उन्होने बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के संविधान निर्माण में योगदान का बारीकी से विश्लेषण किया डॉ. अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में न केवल विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों का संयोजन किया बल्कि उनमें व्यवहारिक एवं गुणात्मक परिवर्तन के सुझाव दिये।

श्री सी.बी. यादव ने बाद में संविधान की प्रस्तावना पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसमें उल्लेखित उपबंधों जैसे पंथनिरपेक्षता, समानता, अखण्डता, आर्थिक एवं समाजिक न्याय आदि पर वर्तमान भारतीय संदर्भ में विश्लेषण किया एवं इस संदर्भ में भारत की वर्तमान स्थिती से अवगत कराया। उदाहरणस्वरूप – **वैश्विक भुखमरी सुचकांक** में भारत 117 देशो में 94 वें स्थान पर है जो एक गम्भीर चिंतन का विषय है।

श्री यादव ने **कानुन का शासन(Rule of law)** संहित **कानुन के समक्ष समान संरक्षण(Equal protection befor law)** कि चर्चा की; साथ ही युवा पीढ़ी को संविधान पढ़ाने की अनिवार्यता का सुझाव दिया। तदुपरांत ''प्रश्नोत्तर सत्र'' प्रारम्भ हुआ। जिसमें मुख्य वक्ता श्री सी.बी.यादव जी ने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। प्रश्नकाल में सुश्री बरनाली शर्मा, श्री रजनीकांत शर्मा, एवं श्री मुकेश रमन ने गुणात्मक प्रश्न किये।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. इन्द्रजीत सोढी जी थें। प्रो. सोढी, राजीव गांधी युवा विकास संस्थान, श्री पेरम्बदुर, तमिलनाडु में ''स्थानीय प्रशासन'' के आचार्य है।

प्रो. सोढी ने भारतीय संविधान एवं भारतीयय लोकतंत्र की अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रो से तुलनात्मक विवेचना कर इसकी महत्ता एवं श्रेष्ठता को इंगित किया। उन्होने नागरिको को समाज एवं राष्ट्र के प्रति कतर्व्य निर्वहन करने में सजक रहने का आह्वान किया। साथ ही भारतीय लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्ट्राचार, जातिवाद, सहित अन्य समस्याओं पर चिंतन कर उन्हे दुर करने के व्यवहारिक प्रयास का सुझाव दिया।

कार्यक्रम के अन्त में कार्यक्रम के उप–समन्वयक डॉ. नम्रता सेंगर एवं आयोजक सचिव श्री यादराम कर्माकर नें भारतीय संविधान के प्रति अपने विचार व्यक्त किये, साथ ही सभी अतिथियों एवं सहभागियों का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उक्त वेबिनार में मंच–संचालन सुश्री बरनाली शर्मा विद्यार्थी, स्नातकोत्तर (लोक प्रशासन) समाजिक विज्ञान विभाग, कोटा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया।

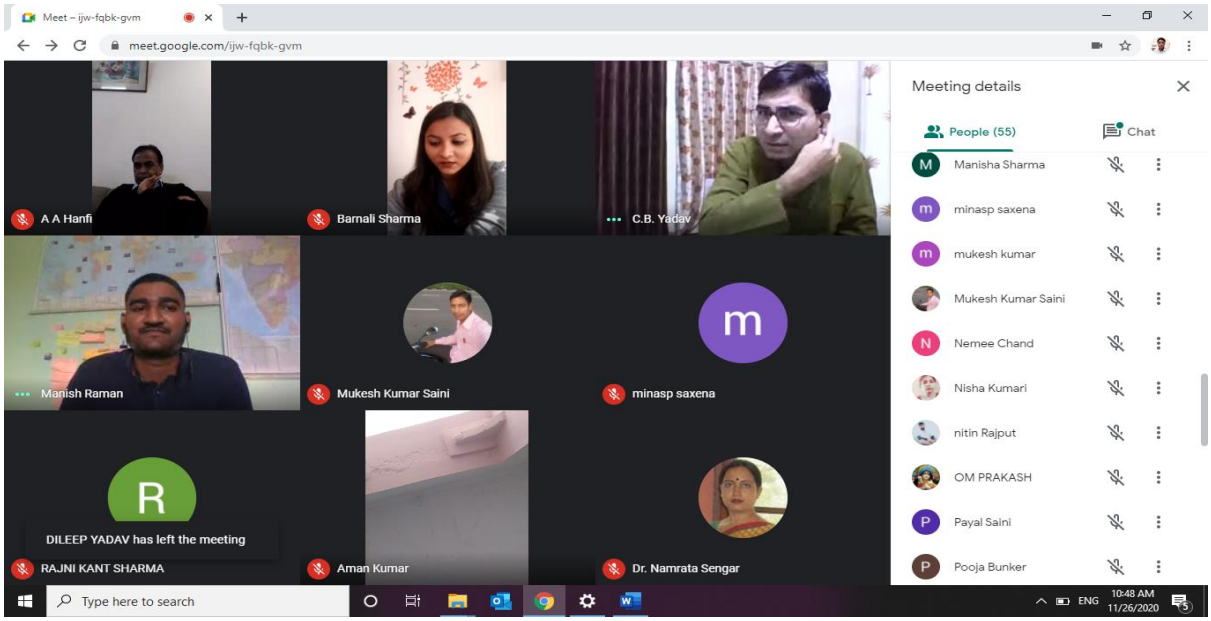

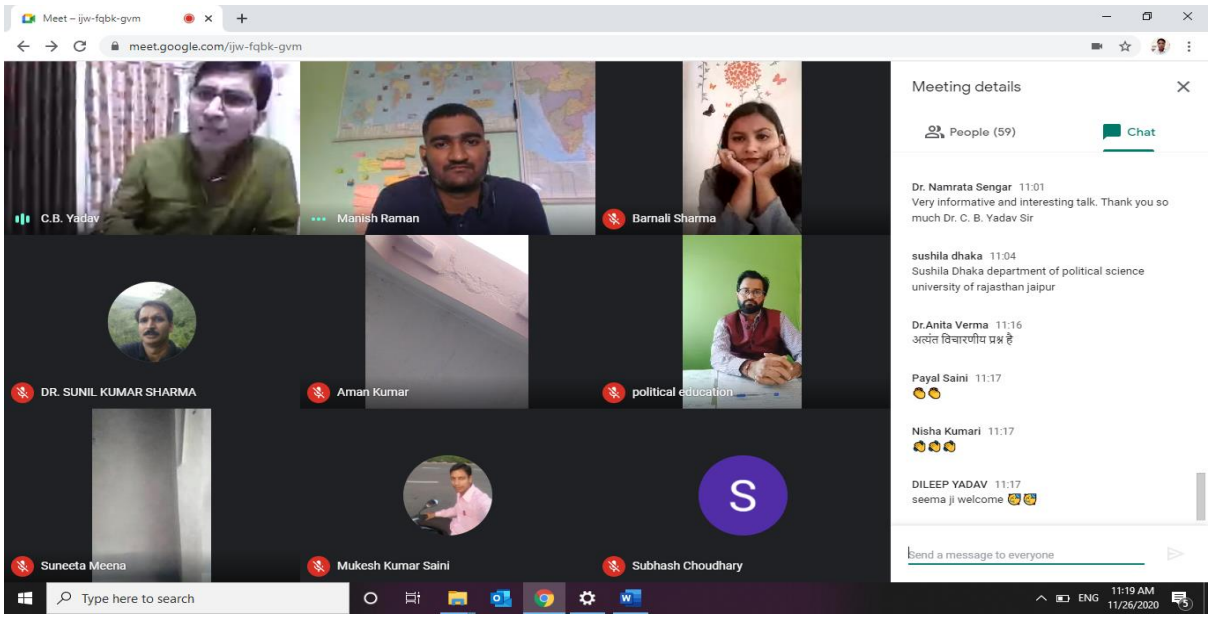

ON THE OCCASION OF NATIONAL CONSTITUTION DAY

ONE DAY NATION WEBINAR

ON

INDIAN CONSTITUTION AND CONTEMPORERY TRENDS

ORGANISED BY

DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES AND

NATIONAL SERVICE SCHEME(NSS)

UNIVERSITY OF KOTA (RAJASTHAN)

CONVENER
DR. VIKRANT SHARMA
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF SOCIAL SCI.
UNIVERSITY OF KOTA

CO-CONVENER
DR. NAMRATA SENGAR
ASSISTANT PROFESSOR DEPARTMENT
OF PURE AND APPLIED PHYSICS
UNIVERSITY OF KOTA

ORGANISING SECRETERY
MR. YADRAM KARMAKAR
DEPARTMENT OF PUBLIC
ADMINISTRATION GOVT.
ARTS COLLEGE KOTA.

NO REGISTRATION FEE

THUSDAY, 26 NOV., 2020
10.00AM-12.00PM

FREE WEBINAR

KEY NOTE SPEAKER

DR. C.B. YADAV
ASSISTANT PROFESSOR
AND SOCIAL WORKER
DEPARTMENT OF PUBLIC ADMIN.
RAJASTHAN UNIVERSITY (JAIPUR)

PRESIDED BY

DR. A.A. HANFI
PROFESSOR
AND SOCIAL WORKER
DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES
UNIVERSITY OK KOTA (RAJASTHAN)

REGISTRATION IS FREE.
REGISTRATION LINK: https://forms.gle/LZX77q2pv3DtesEh9
E CERTIFICATE WILL BE PROVIDED TO ALL PARTICIPANTS.